तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/2021/6173/पाली प्रेमलता बनाम सुकिया देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2022	**खण्ड–पीठ** **श्री रामदयाल मीणा, सदस्य** **श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य** उपस्थितः– 1– श्री हेमन्त सोगानी, श्री विकास पारासर अभिभाषक अपीलांट। 2– श्री जी.एस. चारण, अभिभाषक रेस्पो0। **आदेश** योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने बाबत् दिनांक 31–3–2022 एवं अपील के एडमिशन पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपील में विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने के आदेश दिनांक 28–10–2021 को दिये थे जिसकी पालना में विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जक्शन ने अपने निर्णय दिनांक 23–2–2022 को प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित कर दिया जिससे उक्त अपील सारहीन हो चुकी है। अतः उक्त अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जावें। योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा की गई बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि अपील को एडमिट करते हुए रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जक्शन के आदेश दिनांक 23–3–2022 के निर्णय की प्रति पेश की जिसमें अंकित है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय पाली द्वारा दिनांक 29–10–2021 को निर्णय पारित करते हुए व्यथित पक्षकार की अपील एवं उक्त प्रकरण को इन निर्देशों के साथ श्रीमान् के न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक पक्षकारान अपीलांट के साथ–साथ किशना मंशा पि0 हुकमा योगी के वारिसान एवं अमरचन्द के वारिसान को नोटिस से तलब कर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्यों पर विधिक परीक्षण करते हुए प्रकरण मैरिट पर तीन माह के भीतर निस्तारण करें जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जक्शन द्वारा दिनांक 23–3–2022 को अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/2021/6173/पाली प्रेमलता बनाम सुकिया देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28–10–2021 के मूल आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है जो दिनांक 23–3–2022 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णय पारित किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेन्द्र माहेश्वरी) सदस्य (रामदयाल मीणा) सदस्य	